

भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय
माखपुर औद्योगिक क्षेत्र अजमेर
305002



By speed post/Email
Show Cause Notice
Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of the Regional Controller of
Mines. Makhapura Industrial Area,
Ajmer- 305002
Ph-145-2695165 / 2695476 Fax-
2695202

ई-मेल : ro.ajmer@ibm.gov.in

संख्या: File No.: MCDR-MiFLOLST/14/2023-AJM-IBM_RO_AJM

दिनांक : 05/03/2025

प्रेषित: Unit Head

Dhanapa lime stone
M/S JK cement works
Gotan Merta city ,Dist : Nagaur(Rajasthan)
E-mail: deepak.kalla@jkcement.com,
gotan@jkcement.com

विषय: Show cause notice of provisions of Mineral Conservation & Development Rules, 2017 in respect of your Dhanappa Limestone Mines over an area 400.0 Ha.in Nagaur district of Rajasthan State.

महोदय,

The following provisions of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated in your above mine during the inspection carried out by Shri Nishant Kumar Rao, SrACOM on 03/12/24 in presence of Mine Officials.

Rule No.	Nature of violation observed in detail
Rule 45(7)	<p>The mining operations are carried out in violation of following provisions of approved Review of Mining Plan : -</p> <p>In PMCP total mined out area given is 113.14 hectare not matching with actual mined out area of 111.93 ha</p> <p>Kmz file attached is not having all feature .</p> <p>At serial no .12 Lease area (surface area) utilization as at the end of years (hectares): in ii row area covered under current O-C working is given is 113.140 ha not matching with the drone data and star rating data.</p> <p>At Sl no. 13 : given as public sector shall be change .</p> <p>At Sl no.2. R&R estimated in tonnes (Limestone) : Mineral reserve given 11.07 million tons ,Re-remaining resources given is 5.35 million tons whereas in plan approved in Jan 2024 R &R was given 45.73 million ton</p> <p>Ex Mine price is shown as rs 359.55/- whereas Cost of Production given is rs 375.62/- both shall be same</p>

02. इससंदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत:

- (क) आपकी खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती है।
- (ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।
- (ग) राज्य सरकार को खनन पट्टे की समप्ति की सिफारिश की जा सकती है।

03. इस संबंध में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि नियम 45(7) के उल्लंघन के लिए खनिज संरक्षण एवं विकास (संशोधन) नियम 2021 की अनुसूची-2 के प्रावधान लागू होंगे।

04. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 (तीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

05. कृपया ध्यान रखें कि भविष्य में आपको इस संदर्भ में कोई सूचना अथवा अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा।

भवदीय

एन. के. राव
वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि सूचनार्थ .

- 1 खाननियंत्रक (उत्तर), भारतीय खानब्यूरो, उदयपुर, ईमेल द्वारा ।
- 2 निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
- 3 खनि अभियंताए खान एवं भूविज्ञान विभाग, गोटन, नागौर ।

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो